रुग्ण लघु उद्योगों को वित्तीय रूप से अर्थक्षमता बनाने के लिये तैयार की गई योजना

1199. **श्री नागमणि:**
श्री कनक सिंह मोनसिंह मंगरोला:
श्री राजनाथ सिंह:
श्रीमती मालती शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रुग्ण लघु उद्योगों को वित्तीय रूप से अर्थक्षम बनाने के लिये तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान इन उद्योगों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) इस संबंध में किस हद तक सफलता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने रुग्ण लघु उद्योग एककों की समस्याओं से निपटने के लिए और रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनर्वास के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशानिर्देश जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ रुग्ण लघु उद्योग की परिभाषा, अर्थक्षमता मानदंड, प्रारम्भिक रुग्णता और संभावित रूप से अर्थक्षम एककों के मामले में पैकेजों के कार्यान्वयन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से राहतें/रियायतें भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) आरबीआई की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, मार्च, 1994 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार, आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या 256452 थी जिनके पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 3680.37 करोड़ रुपए बकाया था। इनमें से 16580 एककों को संभावित रूप से अर्थक्षम माना गया था और 5607 मामलों में अर्थक्षमता का अभी निर्धारण किया जाना था। अर्थक्षम एककों में से उस तारीख की स्थिति के अनुसार 11376 एकक पोषण कार्यक्रम के अधीन थे।

Review of FERA

1200. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether Government propose to review FERA and other relevant laws;

(b) whether Government have taken into consideration the views expressed by FICCI, UNDP, and UNCTAD in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) to (c) Major changes in FERA were carried out vide Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 1993 (29 of 1993). However, a comprehensive review of FERA is currently being under taken and further changes, if necessary, may also be considered.

"एनरॉन" कम्पनी का शिक्षा कोष (एजुकेशन फण्ड)

1201. **श्री राम देव भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एनरॉन" कम्पनी ने भारत में लोगों को शिक्षित करने के लिए आने वाले शिक्षा कोष से 60 करोड़ रुपये वितरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बड़े कोष के देश में आगमन तथा उसके सही उपयोग की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल): (क) डाभोल पावर कम्पनी ने सूचित किया है कि उनका इस प्रकार का कोई शिक्षा कोष नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।